

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126 / 2020.....84.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बाँका, पटना, भोजपुर (आरा), वैशाली, भागलपुर, सारण, सिवान, गया, दरभंगा,
समस्तीपुर, रोहतास, गोपालगंज, मुजफ्फपुर एवं पूर्वी चम्पारण

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, नालन्दा, जमुई,
सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार,
अरवल, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), जहानाबाद एवं शिवहर

प्राचार्य,

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 12-01-2021

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 -
सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य
का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत आवंटन संख्या- 28 दिनांक 05.01.2021
को रद्द करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में
पदस्थापित कर्मियों (संविदा कर्मियों सहित) को वेतनादि मद में 8,52,27,297/-
(आठ करोड़ बावन लाख सताईस हजार दो सौ सन्तानवें) एवं वेतनादि से भिन्न मद
में 13,00,65,992/- (तेरह करोड़ पैसठ हजार नौ सौ बानवें) अर्थात्
21,52,93,289/- (एक्कीस करोड़ बावन लाख तिरानवें हजार दो सौ नवासी) रूपये
मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

1. वेतनादि मद में बन्दोबस्त कार्यालयवार आवंटन विवरणी :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुंगेर	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
2	शेखपुरा	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
3	लखीसराय	2800000	310000	185000	0	95000	0	3390000
4	बेगूसराय	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	कुल योग
5	सुपौल	2000000	340000	160000	0	45000	0	2545000
6	किशनगंज	2000000	340000	160000	0	45000	0	2545000
7	नालंदा	2922364	632446	202887	0	54134	0	3811831
8	जमुई	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
9	सीतामढ़ी	2000000	340000	160000	0	45000	0	2545000
10	खगड़िया	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
11	सहरसा	1000000	210000	100000	20000	60000	0	1390000
12	मधेपुरा	1000000	210000	100000	20000	60000	0	1390000
13	पूर्णियाँ	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
14	अररिया	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
15	कटिहार	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
16	अरवल	2000000	340000	160000	0	45000	0	2545000
17	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	2000000	340000	160000	0	45000	0	2545000
18	जहानाबाद	2000000	340000	160000	0	45000	0	2545000
19	शिवहर	2000000	340000	160000	0	45000	0	2545000
20	बाँका	2000000	340000	160000	0	45000	0	2545000
21	पटना	4399800	747966	703968	189540	90000	40140	6171414
22	भोजपुर (आरा)	2325600	395237	172128	26676	38000	7000	2964641
23	वैशाली	1632000	277440	130560	0	24000	0	2064000
24	भागलपुर	2109050	275757	144422	23590	34992	0	2587811
25	सारण	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
26	सिवान	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
27	गया	1500000	350000	150000	30000	30000	0	2060000
28	दरभंगा	3300000	800000	300000	70000	80000	0	4550000
29	समस्तीपुर	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
30	रोहतास	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
31	गोपालगंज	1000000	210000	100000	20000	60000	0	1390000
32	मुजफ्फरपुर	660000	112500	53000	13100	8000	0	846600
33	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
34	राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
35	सहायक निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाण	1500000	315000	240000	80000	16000	0	2151000
कुल योग :-		64148814	12186346	6061965	1252906	1530126	47140	85227297

(आठ करोड़ बावन लाख सताईस हजार दो सौ सन्तानवें रूपये मात्र)

2. वेतनादि मद से भिन्न मद में बन्दोबस्त कार्यालयवार आवंटन विवरणी :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	02 01 मजदुरी	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	13 06 वर्दी / पोशाक	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	28 02 सविदा सेवाएँ	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुंगेर	0	108613	0	0	1900000	2008613
2	शेखपुरा	0	0	0	0	800000	800000
3	लखीसराय	50000	0	10000	0	1400000	1460000
4	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0
5	सुपौल	0	0	20000	175000	1000000	1195000
6	किशनगंज	0	0	0	0	210000	210000
7	नालंदा	50000	0	40000	0	2200000	2290000
8	जमुई	0	0	0	0	180000	180000
9	सीतामढ़ी	0	0	0	0	212379	212379
10	खगड़िया	50000	0	0	0	1100000	1150000
11	सहरसा	0	0	0	0	0	0
12	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0
13	पूर्णियाँ	0	0	0	0	0	0
14	अररिया	0	0	0	0	0	0
15	कटिहार	50000	0	0	200000	0	250000
16	अरवल	0	0	0	0	0	0
17	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	0	0	0	0	0	0
18	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0
19	शिवहर	0	0	0	0	0	0
20	बाँका	0	0	0	0	0	0
21	पटना	100000	0	35000	0	60000	195000
22	भोजपुर (आरा)	0	0	0	0	0	0
23	वैशाली	0	0	0	0	0	0
24	भागलपुर	0	0	5000	0	0	5000
25	सारण	0	0	0	0	0	0
26	सिवान	0	0	0	0	0	0
27	गया	0	0	0	0	0	0
28	दरभंगा	100000	0	10000	0	0	110000
29	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0
30	रोहतास	0	0	0	0	0	0
31	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0

32	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
33	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	0	0	0	0	0	0
34	राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	0	0	0	0	0	0
35	सहायक निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप	0	0	0	0	120000000	120000000
कुल योग :-		400000	108613	120000	375000	129062379	130065992

(तेरह करोड़ पैसठ हजार नौ सौ बानवें रूपये मात्र)

3. उपर्युक्त आवंटन के अलावे निदेशालय में वेतनादि से भिन्न मद में आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवंटन निर्गत नहीं किया जा रहा है। वित्त विभाग से द्वितीय सिंलिंग व्यय की राशि प्राप्त होते ही अन्य मद में अधियाचनानुसार आवंटन निर्गत किया जाएगा।
4. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
5. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
7. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाए।
8. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
13. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 21
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना -0101)-126/2020.....84..... पटना, दिनांक:-12-01-2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक:-

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना -0101)-126/2020.....84..... पटना, दिनांक 12-01-2021

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना -0101)-126/2020.....84..... पटना, दिनांक 12-01-2021

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना -0101)-126/2020.....84..... पटना, दिनांक 12-01-2021

प्रतिलिपि :- सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण